

एम/एस रोलटाइन्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-III

29 जुलाई, 2004

[एन. संतोश हेगड़े और ए. के. माथुर, न्यायमूर्ति]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 2(ड.) और 11क(झ)-अधिसूचना संख्या 6/2000-सीई दिनांक 1.3.2000 एक कंपनी के स्वामित्व वाले दो कारखानों द्वारा छूट का दावा किया गया।

दो कारखानों के अलग-अलग प्रतिष्ठान एवं अलग-अलग अन्तिम उत्पाद वाले पृथक परिसर विशिष्ट पंजीकरण जारी किए गए-अभिनिर्धारित-मात्र इसलिए कि दोनों कारखाने एक ही परिसर में हैं और उनकी सीमाएँ समान हो सकती हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि दोनों कारखाने एक ही हैं। दोनों कारखाने अलग-अलग छूट के हकदार हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944-आर 174 (3)।

अपीलकर्ता-कंपनी के पास दो फैक्ट्रियां हैं, अर्थात् (i) पेपर बोर्ड फैक्ट्री, जो डुप्लेक्स बोर्ड के निर्माण में लगी हुई है और (ii) स्पेशलिटी पेपर फैक्ट्री, कागज का निर्माण करती है। पहला शेड ई नंबर 1 पर स्थित

था और दूसरा शेड नंबर 3 पर। 1998 से पहले शेड नंबर 3 पेपर बोर्ड फैक्ट्री के लिए एक गोदाम था और स्पेशलिटी पेपर फैक्ट्री एक अलग जगह पर स्थित थी। स्पेशलिटी पेपर फैक्ट्री के संचित स्टॉक को पेपर बोर्ड फैक्ट्री में स्थानांतरित कर दिया गया और पेपर बोर्ड फैक्ट्री को जारी किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण के तहत निपटान किया गया। बाद में, स्पेशलिटी पेपर फैक्ट्री के एफ प्लांट और मशीनरी को शेड नंबर 3 में स्थानांतरित कर दिया गया, और इसके लिए एक अलग पंजीकरण जारी किया गया। दोनों कारखाने अलग-अलग परिसर में थे और उनके अलग-अलग संयंत्र और मशीनरी अलग-अलग कर्मचारियों और अलग-अलग प्रबंधकों द्वारा चलाए जाते थे। दोनों कारखानों को अलग-अलग जारी किए गए पंजीकरण केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174(3) के तहत निर्धारित परिसर विशिष्ट थे।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अधिसूचना संख्या 6/2000-सीई दिनांक 1.3.2000 जारी की, जिसके तहत किसी कारखाने में एक निश्चित मात्रा तक कागज और पेपर बोर्ड या उससे बनी वस्तुओं पर निर्धारित शर्तों के अधीन शुल्क की 'शून्य' दर लगाई गई थी। इस छूट का लाभ अपीलकर्ता की दो फैक्ट्रियों द्वारा लिया गया था।

हालाँकि, 19.3.2001 को अपीलकर्ता की फैक्ट्रियों को व्यक्तिगत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा

रियायत का लाभ उठाने पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों फ़ैक्टरियाँ एक ही परिसर में थीं, एक ही कंपनी के स्वामित्व में थीं और एक ही बैलेंस शीट थीं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 क(1) के तहत मांग उठाई गई थी। आयुक्त ने मांग की पुष्टि की और जुर्माना लगाया। सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयुक्त के आदेश की पुष्टि की। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपीलें दायर कीं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दोनों कारखानों के बीच उद्देश्य की कोई समानता नहीं है। दोनों अलग-अलग कर्मचारी और अलग-अलग प्रबंधकों द्वारा चलाए जाने वाले अलग-अलग प्रतिष्ठान हैं, हालांकि शीर्ष स्तर पर अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा एक ही बैलेंस-शीट बना रखी है। तैयार माल अलग है। दोनों कारखानों का प्रवेश द्वार अलग-अलग है, बीच में एक रास्ता है और वे एक-दूसरे के पूरक नहीं हैं और न ही एक-दूसरे के सहायक हैं। वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ अलग से पंजीकृत हैं। यह भी राजस्व का मामला नहीं है कि एक कारखाने का अंतिम उत्पाद दूसरे कारखाने के लिए कच्चा माल है। सिर्फ इसलिए कि दोनों फ़ैक्टरियाँ एक ही परिसर में हैं और उनकी सीमाएँ समान हो सकती हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि दोनों फ़ैक्टरियाँ एक ही हैं। तदनुसार, न्यायाधिकरण और

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता है और उनके द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6581/2002

अंतिम आदेश संख्या 144/2002-डी के विरुद्ध अपील संख्या 209/2002-डी में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलकर्ता न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 7.6.2002 से।

साथ

2002 की सिविल अपील संख्या 6635

ए.आर. माधव राव, आलोक यादव, विश्वनाथ शुक्ला और वी. बालाचंद्रन अपीलकर्ता की ओर से।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी. दत्ता, दिलीप टंडन, पी. परमेश्वरन और बी. कृष्ण प्रसाद प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. के. माथुर द्वारा दिया गया।

ये दोनों अपीलें सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) के 7 जून, 2002 के सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए, इनका निस्तारण सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

दोनों अपीलों के निस्तारण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। मेसर्स रोलाटेनर्स लिमिटेड (बाद में 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक लिमिटेड कंपनी है, अपीलकर्ता विभिन्न परिसरों में स्थित अपने सात कारखानों में विभिन्न उत्पादों का निर्माण का कार्य करता है, उनमें से प्रत्येक केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ विधिवत और अलग से पंजीकृत है। सात फ़ैक्टरियों में से, दो फ़ैक्टरियाँ जो इन अपीलों के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं: (i) पेपर बोर्ड फ़ैक्टरी और (ii) स्पेशलिटी पेपर फ़ैक्टरी।

पेपर बोर्ड डिवीजन शेड नंबर 1, नरेला रोड, कुंडली में स्थित है और अपने स्वयं के संयंत्र और मशीनरी, कर्मचारियों और श्रमिकों, कच्चे माल और बिजली, पानी आदि जैसी उपयोगिताओं के साथ स्वतंत्र रूप से डुप्लेक्स बोर्ड के निर्माण का कार्य करती है।

स्पेशलिटी पेपर फ़ैक्ट्री शेड नंबर 3, नरेला रोड, कुंडली में स्थित है और अपने संयंत्र और मशीनरी, कर्मचारियों और श्रमिकों, कच्चे माल और बिजली, पानी आदि जैसी उपयोगिताओं के साथ स्वतंत्र रूप से कागज के निर्माण का कार्य करती है। मई, 1998 से पहले, स्पेशलिटी पेपर फ़ैक्ट्री तैयार माल के संचित भंडार के साथ धारूहेड़ा में स्थित थी। अपीलकर्ता ने विशेष पेपर फ़ैक्ट्री के ऐसे तैयार स्टॉक को पेपर बोर्ड फ़ैक्ट्री में स्थानांतरित करने और पेपर बोर्ड फ़ैक्ट्री को जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण के

तहत तैयार माल के संचित स्टॉक का निपटान करने का निर्णय लिया। मई, 1998 से पहले पेपर बोर्ड फैक्ट्री की जमीनी योजना में शेड नंबर 3 को इसके कच्चे माल, अर्थात् बेकार कागज के भंडारण के लिए एक गोदाम के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद, धारूहेड़ा में निर्मित तैयार माल के भंडारण और शुल्क के भुगतान पर उन्हें साफ करने के लिए शेड नंबर 3 में विशेष कागज कारखाने को दिखाने के लिए मई, 1998 में ग्राउंड प्लान में संशोधन किया गया। तदनुसार, धारूहेड़ा में निर्मित स्टॉक को क्लियर करने के उद्देश्य से वर्गीकरण सूची भी दायर की गई थी।

धारूहेड़ा से शेड नंबर 3, नरेला रोड, कुंडली में स्थानांतरित विशेष कागज कारखाने के संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के बाद अलग-अलग कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा ऐसे अलग परिसर में कागज का निर्माण किया गया, जो पहले धारूहेड़ा में कार्यरत थे और अपीलकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174(3) के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है। पेपर बोर्ड फैक्ट्री की विनिर्माण प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा कभी भी शेड नंबर 3 में नहीं चलाया गया था, जहां विशेष रूप से विशेष पेपर फैक्ट्री का संचालन किया गया था। पेपर बोर्ड फैक्ट्री और विशेष पेपर फैक्ट्री को जारी किए गए पंजीकरण नियम 174(3) के तहत निर्धारित परिसर विशिष्ट थे, जो इस प्रकार हैं:

"दिया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा और केवल प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट परिसरों के लिए ही मान्य होगा"

पंजीकरण में कुछ शर्तें भी शामिल हैं, जैसे कि यह केवल अनुसूची में निर्दिष्ट परिसर और उद्देश्यों के लिए मान्य है और किसी अन्य उद्देश्य और परिसर के लिए नहीं; यह हस्तांतरणीय नहीं है और प्रमाणपत्र में कोई सुधार स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सत्यापित न किया जाए और प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक धारक उस गतिविधि को जारी नहीं रखता जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है या उसे सरेंडर नहीं कर देता। इसलिए, दोनों कारखानों को अलग-अलग पंजीकरण प्रदान किया गया। यह भी बताया गया कि शेड नंबर 3 में पेपर बोर्ड के निर्माण से संबंधित कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की गई थी, जिसके लिए विशेष पेपर फैक्ट्री को पंजीकरण दिया गया था। शेड नंबर 3 में केवल कागज के निर्माण की विनिर्माण प्रक्रियाएं ही चलती थीं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अधिसूचना 6/2000- केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च, 2000 को एक अधिसूचना जारी की और उपरोक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 77 के अनुसार, किसी कारखाने में कागज और पेपरबोर्ड या उससे बनी वस्तुओं पर 'शून्य' की दर से शुल्क लिया जाएगा। अधिसूचना की शर्त संख्या 15 के अधीन कर्तव्य है कि कागज और पेपरबोर्ड या उससे बनी वस्तुओं का निर्माण किसी कारखाने में किया जाता

है। जो लुगदी के चरण से शुरू किया जाता है और ऐसी लुगदी में बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नरकट (सरकंडा के अलावा) या चिथड़े के अलावा अन्य सामग्रियों से बनी लुगदी का वजन वजन के हिसाब से 75% से कम नहीं होता है। और यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि छूट केवल कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए निकाले गए कागज और पेपरबोर्ड पर लागू होगी। इसलिए, अपीलकर्ता के कारखानों द्वारा उपरोक्त छूट का लाभ उठाया गया था।

लेकिन समस्या 19 मार्च, 2001 को शुरू हुई जब अपीलकर्ता की फ़ैक्टरियों को प्रत्येक फ़ैक्टरी द्वारा उपरोक्त रियायत का लाभ उठाने पर आपत्ति जताते हुए व्यक्तिगत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी करने का आधार यह था कि दोनों कारखाने एक ही परिसर में हैं और एक ही बैलेंस-शीट बनाए गई है और उनका स्वामित्व भी एक ही कंपनी के पास है। इस मुद्दे पर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली- III द्वारा निर्णय लिया गया था और धारा 11 क (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत 50,25,117.00 रुपये की राशि शुल्क और 5 लाख रुपये के जुर्माने का दावा किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध व्यथित होकर, ट्रिब्यूनल के समक्ष दो अपीलें दायर की गईं और ट्रिब्यूनल ने आदेश की पुष्टि की। इसलिए, वर्तमान में विशेष अनुमति के माध्यम से अपील की जाती है। इन दोनों अपीलों में विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या ये दोनों फ़ैक्ट्रियां एक हैं या अलग-अलग हैं। ट्रिब्यूनल ने अपने

आदेश दिनांक 7 जून, 2002 द्वारा, निचले प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे एक हैं और तदनुसार, कर्तव्य के साथ-साथ दंड की भी पुष्टि की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों फैक्ट्रियां एक-दूसरे के करीब हैं और इसका मालिक एक ही मालिक है और एक ही बैलेंस-शीट कायम है। परन्तु क्या इससे यह कहा जा सकता है कि दोनों कारखाने एक ही हैं? 'कारखाना' की परिभाषा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (ड.) में इस प्रकार है:

"(ड) "कारखाना" का अर्थ है कोई भी परिसर, जिसमें उसका परिसर भी शामिल है, जिसमें या जिसके किसी भी हिस्से में नमक के अलावा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, या जिसमें या जिसके किसी भी हिस्से में इन वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया होती है चलाया जा रहा है या सामान्यतः चलाया जा रहा है;"

केवल इसलिए कि दोनों कारखाने एक ही परिसर में हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि दोनों कारखाने एक ही हैं। वर्तमान मामले में, तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य में कोई समानता नहीं है, दोनों कारखानों में एक अलग प्रवेश द्वार है, बीच में एक मार्ग है और वे एक-दूसरे के पूरक नहीं हैं और न ही वे एक-दूसरे के सहायक हैं। अंतिम उत्पाद भी अलग है, एक डुप्लेक्स बोर्ड बनाता है और दूसरा कागज बनाता है। वे केंद्रीय उत्पाद

शुल्क विभाग के साथ अलग से पंजीकृत हैं। स्टाफ अलग है, उनका मैनेजमेंट अलग है. यह भी राजस्व का मामला नहीं है कि एक कारखाने का अंतिम उत्पाद दूसरे कारखाने के लिए कच्चा माल है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दोनों कारखानों में कोई समानता नहीं है। दोनों अलग-अलग प्रबंधकों द्वारा संचालित अलग-अलग प्रतिष्ठान हैं, हालांकि शीर्ष स्तर पर इसका रखरखाव अपीलकर्ता कंपनी द्वारा किया जाता है। स्टाफ अलग है, तैयार माल अलग है। सिर्फ इसलिए कि दोनों फ़ैक्टरियों की सीमाएँ एक है इस वजह से इसे एक फ़ैक्टरी नहीं मान सकते। तदनुसार, हमारी राय है कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित प्नहीं होता है और इसी तरह, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी उचित नहीं है। तदनुसार, हम इन दोनों अपीलों को स्वीकार करते हैं, तथा जून 2002 को पारित ट्रिब्यूनल के आदेश के साथ-साथ दोनों अपीलों में 28 सितंबर 2001 को आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली-III द्वारा पारित आदेश को भी रद्द करते हैं। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।

आर.पी.

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लव प्रजापति (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।